FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... मुकाम ......कोटा......

...... बनाम ......

किस्म मुकदमा ......53, 188...... नं. ......24...... सन् ......2023......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/26	पत्रावली आदेश अंतिम डिक्री बाबत पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौका रिपोर्ट वादीगण की उपस्थिति में नही बनाई गई है मौका रिपोर्ट पर वादीगण के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा नही है। उपरोक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने के लिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा का कोई अधिकारी मौके पर नही आया, इसलिये उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व वादीगण को कोई विधिक सूचना नही दी गई तथा वादीगण के कब्जे की जमीन प्रतिवादीगण को दे दी तथा प्रतिवादीगण के कब्जे की जमीन वादीगण को दे दी तथा प्रवितादीगण के द्वारा उच्च किस्म तो स्वयं के पास रख ली तथा दोयम दर्जे की जमीन वादीगण को दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव वादीगण को स्वीकार नही है तथा विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त विभाजन पस्ताव निरस्त किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जावे तथा उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव एवं मोका रिपोर्ट वादीगण को नोटिस देकर वादीगण की उपस्थिति तैयार करने के निर्देश प्रदान किये जावे। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव पर सीधे ही बहस की गई। उभयपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रथम आपत्ति यह प्रस्तुत की गई है कि उपरोक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने के लिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा का कोई अधिकारी मौके पर नही आया। विभाजन प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व वादीगण को कोई विधिक सूचना नही दी गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वार प्रेषित रिपोर्ट में यह स्पष्टतया अंकित है कि "**मैं राजवीर यादव तहसीलदार लाडपुरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश कमांक 2025/545 दिनांक 17.09.2025 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आराजी खसरा नं0 363, 574, 704, 711, 964/364, 966/365, 968/366, 971/712 वाके ग्राम बालिता पटवार हल्का सकतपुरा पर श्री दिनेश कुमार व श्री योगेन्द्र सिंह आई0एल0आर0 के साथ मोके पर पहुंचा। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 2023/72 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 6993 से 6998 दिनांक 19.09.25 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत** रूप से करवायी गयी।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी. अहकाम जो कि हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है एव समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी कर सूचना दी गई है। जिस कारण से वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया है कि जिस खसरा नं0 पर वादीगण का मकान बना हुआ है वह खसरा नं0 प्रतिवादीगण के पक्ष में अंकित करने का प्रस्ताव दिया गया है। बहस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव आंशिक स्वीकार करते हुये तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निम्न 3 बिन्दुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई–

1. क्या उक्त खसरा नं0 पर वादीगण का मकान बना हुआ है?
2. क्या वादीगण द्वारा उक्त मकान में निवास किया जा रहा है?
3. क्या वादीगण द्वारा उक्त आराजी पर खेती की जा रही है?

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में उक्त तीनो बिन्दुओं का निम्न जवाब प्रस्तुत किया है–

1. उक्त खसरा नं0 363 में मकान बना हुआ है।
2. वर्तमान में वादी उक्त मकान में निवास नही कर रहा है।
3. वादी द्वारा उक्त आराजी में खेती नही की जा रही है।

रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया है कि वादी बाबूलाल के पक्ष में खसरा नं0 363 में प्रस्तावित हिस्से की संरचना पीछे की ओर पट्टीनुमा है। संरचना पट्टीनुमा होने से वादी को काश्त करने में काफी परेशानियों का सामना पडेगा अतः निवेदन है कि वादी बाबूलाल को खसरा नं0 363 में चकौरनुमा संरचना का हिस्सा दिया जावे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सभी पक्षकारान को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर हिस्से प्रस्तावित किये गये। जिस कारण से वादीगण अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दोनो पक्षों को नोटिस दिया जाकर स्वयं मौका देखकर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का ध्यान रखते हुये उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण प्रतीत नही होता है। उभयपक्षकारान को आपत्तियों पर सुने जाने एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत दावा निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम बालिता में स्थित आराजी ख०नं० 363 रकबा 1.09 है०, ख0नं0 574 रकबा 0.05 है०, ख०नं0 704 रकबा 0.09 है0, ख०नं० 711 रकबा 0.15 है., ख०नं० 964/364 रकबा 0.09 है0, ख०नं० 966/365 रकबा 0.09 है0, ख0नं० 968/366 रकबा 0.09 है०, ख0नं० 971/712 रकबा 0.11 है0 कुल 8 किता की 1.76 है० भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार भूमि विभाजित की जाती है–

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
1.बाबूलाल पुत्र छोटिया हि0 1/3 2.नन्दकंवर पुत्री छोटिया हि0 1/3 3.बसन्तीलाल, गिर्राज, नरेश पुत्रान धन्नीबाई पत्नि स्व0 रामदयाल हि0 1/3 में हि0 बराबर जाति माली सा0 देह खातेदार	574	0.05 है0	
1.बाबूलाल पुत्र छोटिया हि0 1/9 2.नन्दकंवर पुत्री छोटिया हि0 1/9 3.बसन्तीलाल, गिर्राज, नरेश पुत्रान धन्नीबाई पत्नि स्व0 रामदयाल हि0 7/9 में हि0 बराबर जाति माली सा0 देह खातेदार	704	0.09 है0	
1.बाबूलाल पुत्र छोटिया हि0 5/11 2.नन्दकंवर पुत्री छोटिया हि0 6/11	971/712	0.11 है0	
बाबूलाल पुत्र छोटिया जाति माली	363	0.28 है0	पूर्वी
सत्यनारायण पुत्र छोटिया जाति माली सा0 देह खातेदार	363/1	0.27 है0	बाबूलाल से लगवा
प्रभूलाल पुत्र छोटिया जाति माली सा0 देह खातेदार	363/2	0.27 है0	सत्यनारायण से लगवा
बसन्तीलाल, गिर्राज, नरेश पुत्रान धन्नीबाई पत्नि स्व0 रामदयाल हि0 7/9 में हि0 बराबर जाति माली सा0 देह खातेदार	363/3	0.27 है0	प्रभूलाल से लगवा
सत्यनारायण हि0 1/2, प्रभूलाल हि0 1/2 पुत्रान छोटिया जाति माली सा0 देह खातेदार	711	0.15 है0	
नन्दकंवर पुत्री छोटिया जाति माली सा0 देह खातेदार	964/364 966/365 968/366 किता 3	0.09 है0 0.09 है0 0.09 है0 0.27 है0	

अन्तिम डिक्री पर्चा अलग से तहरीर हो। तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पृथक पृथक खाता अमलदरामद कर पृथक पृथक लगान कायम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा